संख्या- 184 / 2024 / 1115 / चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2024

विषय:- भारत सरकार की टैगोर कल्चरल काम्प्लेक्स योजनान्तर्गत बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ (पूर्व में राष्ट्रीय कथक संस्थान) के भवन निर्माण परियोजना हेतु राज्यांश की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5280/सं0नि0-6(53)/2012-13 ।।, दिनांक 22 मार्च, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन (प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत रू0 4420.51 लाख) को व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.03.2024 में प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 4096.74 लाख अनुमोदित की गयी है।

2. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के शासनादेश संख्या- 20-07(3)/2012-P.Arts-II, दिनांक 05.02.2024 द्वारा टैगोर कल्चरल काम्प्लेक्स योजनान्तर्गत प्रस्तावित परियोजना हेतु रू0 884.22 लाख का केन्द्रांश अनुमन्य करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ के खाते में रू0 250.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ (पूर्व में राष्ट्रीय कथक संस्थान) के भवन निर्माण हेतु रू0 4096.74 लाख (रू0 चालीस करोड़ छियानवे लाख चौहत्तर हजार मात्र) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-8905- बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ का भवन निर्माण -24-वृहत् निर्माण कार्य मद में राज्यांश के रूप में रू0 166.66 लाख (रू0 एक करोड़ छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन धनराशि निर्गत करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विर्नियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(5) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 तथा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के शासनादेश संख्या- 20-07(3)/2012-P.Arts-II, दिनांक 05.02.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) प्रायोजना प्रस्ताव में 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था के स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो। जी०एस०टी० की धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
(10) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप संस्कृति निदेशालय द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
(12) प्रायोजनान्तर्गत रिकार्डिंग स्टूडियों, मुख्य भवन में स्टेज लाईटिंग, ई०पी०बी०ए० बी०एक्स सिस्टम, सी०सी०टी०वी० सिस्टम, डाटा नेटवर्किंग, सोलर फोटो वोल्टिक सिस्टम आडीटोरियम हेतु स्टेज लाइटिंग, साउण्ड रिइनफोर्समेन्स सिस्टम, विडियों प्रोजेक्शन, विडियों कान्फ्रेसिंग सिस्टम, डी०जी०सेट, ट्रांसफार्मर, लिफ्ट, आडीटोरियम चेयर प्राविधान किया है। इनके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त की जायेंगी। संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 71.69 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू०पी०पी०सी०एल० से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

(14) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यों की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(16) प्रायोजना का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(18) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(20) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(21) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(22) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(23) स्वीकृत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था – उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(24) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था / बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के शासनादेश संख्या- 20-07(3)/2012-P.Arts-II, दिनांक 05.02.2024 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार परियोजना निर्माण की प्रगति / आख्या भारत सरकार तथा संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन को अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी।

(25) उक्त परियोजना हेतु मदवार मूल्यांकित लागत का विवरण संलग्न है।

4. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -800- अन्य व्यय -09- भारत रत्न डा0 भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र -24- वृहत् निर्माण कार्य मद में उपलब्ध बचतों में से रू0 166.66 लाख को संक्रमित कर लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-8905- बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ का भवन निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 184 /2024 / 1115 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अनु सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, पुरातत्व भवन, डी-ब्लाक, जी0पी0ओ0 काम्प्लेक्स, द्वितीय तल, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 05.02.2024 के संदर्भ में ।
4. महाप्रबन्धक (लखनऊ अंचल-1), उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. निदेशक, बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ।
9. परियोजना प्रबंधक, यूनिट-14, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
10. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20232024-1115-2024 Kathak Sansthan Reapp

विषय:- बिरजू महाराज कथक संस्थान (पूर्व में राष्ट्रीय कथक संस्थान), लखनऊ के भवन निर्माण हेतु धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048000900 (भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	13,08,63,114 रुपये तेरह करोड़ आठ लाख त्रेसठ हजार एक सौ चौदह मात्र	9,12,73,114 रुपये नौ करोड़ बारह लाख तिहत्तर हजार एक सौ चौदह मात्र	1,66,00,000 रुपये एक करोड़ छियासठ लाख मात्र	1,66,00,000 रुपये एक करोड़ छियासठ लाख मात्र	11,42,63,114 रुपये ग्यारह करोड़ बयालीस लाख त्रेसठ हजार एक सौ चौदह मात्र	2023-2024
कुल					₹ 1,66,00,000	₹ 1,66,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048008905 (बिरजू महाराज कथक संस्थान लखनऊ का भवन निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	0	1,66,00,000 रुपये एक करोड़ छियासठ लाख मात्र	1,66,00,000 रुपये एक करोड़ छियासठ लाख मात्र	1,66,00,000 रुपये एक करोड़ छियासठ लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 1,66,00,000	₹ 1,66,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

संख्या:RE-budget-1-833-E-7-777-X-2023-24-दिनांक:27-03-2024

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुंवर मकरंद सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 184 /2024 / 1115 (1)/चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महाप्रबन्धक (लखनऊ अंचल-1), उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. निदेशक, बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ।
8. परियोजना प्रबंधक, यूनिट-14, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
9. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या- 184 / 2024 / 1115 / चार-2024 दिनांक 27 मार्च, 2024 का संलग्नक

(लागत रू0 लाख में)

S.N.	DESCRIPTION OF ITEM	Sanctioned Cost	Proposed Cost	Appraised By PFAD	Diffrence
1	**Due to Rate Escalation & Increase In Area**				
A	Due to Rate Escalation & Increase In Area (1001.80 Sqm)-Main Building	458.96	1127.02	1127.02	668.06 (146 %)
B	Due to Rate Escalation & Increase In Area (374.79Sqm)-Auditorium & Basement	812.29	1523.82	1406.41	594.12 (73 %)
	Total-1	**1271.25**	**2650.84**	**2533.44**	**1262.19**
2	Due to Detail estimate				
a	Boundary Wall (270RM)	5.00	34.69	34.69	29.69
b	Pump house(1 No) and Boring (Pump Set-17.5 Hp)	12.00	47.18	47.18	35.18
c	Main Gate (1 No)	1.00	1.35	1.35	0.35
d	SITE DEVELOPMENT	5.00	0.00	0.00	-5.00
e	C.C. INTERLOCKING (1714.13 Sqm)	0.00	38.87	32.65	32.65
f	DRAIN (270 RM)	0.00	14.09	14.09	14.09
g	CATTLE TRAP (2 Nos)	0.00	1.29	1.29	1.29
h	SIGNAGE WORK	0.00	4.91	4.91	4.91
i	HORTICULTURE WORKS	0.00	10.40	7.18	7.18
j	EXTERNAL ELECTRICAL WORKS	0.00	103.24	94.70	94.70
k	500 KVA TRANSFORMER (1 NO)	0.00	17.65	On Serial No-13	0.00
l	250 KVA D.G. Set (2 Nos)	0.00	49.80	On Serial No-14	0.00
m	100 KVA DG Set (1 No)	0.00	15.12	On Serial No-15	0.00
	Total-2	**23.00**	**338.59**	**238.04**	**215.04**
3	New Work				
a	Acoustical Wall Paneling For 50 Seater Auditorioum (269 Sqm)	0.00	23.25	20.93	20.93
b	Acoustical False Ceiling For 50 Seater Auditorioum(157 Sqm)	0.00	4.47	4.02	4.02
c	GUARD ROOM (1 No)	0.00	6.35	6.35	6.35
d	U.G. TANK (50 KL)	0.00	17.76	17.76	17.76
e	TERRACE TANK (40 KL)	0.00	7.27	7.27	7.27
f	EPABX SYSTEM (Main Building)	0.00	16.78	0.00	0.00
g	10KVA UPS (Main Building)	0.00	5.53	On Serial No-16	0.00
h	CCTV(Main Building)	0.00	9.19	On Serial No-17	0.00
i	Solar Photovoltaic Power Plant (50 KWp)(Main Building)	0.00	25.18	On Serial No-18	0.00
j	DATA / NETWORKING SYSTEM(Main Building)	0.00	9.53	On Serial No-19	0.00
k	Recording Studio(Main Building)	0.00	39.97	On Serial No-20	0.00
l	Stage Lighting For 50 Seater Auditorioum(Main Building)	0.00	17.15	On Serial No-21	0.00
m	C.C.T.V. (Auditorium)	0.00	4.76	On Serial No-24	0.00
	Total-3	**0.00**	**187.18**	**56.32**	**56.32**
	Total 1 to 3	**1294.25**	**3176.61**	**2827.79**	**1533.54**
4	CONTINGENCIES@1%	16.69	31.77	26.75	10.06
	TOTAL	**1310.94**	**3208.38**	**2854.55**	**1543.61**
5	LESS 5%	-65.55	-160.42	-142.73	-77.18
	TOTAL (X)	**1245.39**	**3047.96**	**2711.82**	**1466.43**
6	Centage (Work Done @12.5% & Work to Be Done @10 %)	155.67	308.45	274.80	119.13
7	Labour cess@ 1%	12.45	30.48	27.12	14.67
8	QUALITY CONTROL@1%	0.00	29.02	0.00	0.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

S.N.	DESCRIPTION OF ITEM	Sanctioned Cost	Proposed Cost	Appraised By	Diffrence
9	Auditorium Chairs(500 Nos)	29.76	77.87	47.50	17.74
10	Vido Projection and vido conferencing System	23.93	168.90	152.01	128.08
11	16 PASSENGR LIFTS (2 Nos)	0.00	40.84	40.84	40.84
12	250 KVA D.G. Set (1 No)	6.50	28.90	22.21	15.71
13	500 KVA TRANSFORMER (1 NO)	0.00	On Serial No-2(k)	15.89	15.89
14	250 KVA D.G. Set (1 Nos)	0.00	On Serial No-2(l)	22.21	22.21
15	100 KVA DG Set (1 No)	0.00	On Serial No-2(m)	8.88	8.88
16	10KVA UPS (Main Building)	0.00	On Serial No-3(g)	2.44	2.44
17	CCTV(Main Building)	0.00	On Serial No-3(h)	8.29	8.29
18	Solar Photovoltaic Power Plant (50 KWp)(Main Building)	0.00	On Serial No-3(i)	11.55	11.55
19	DATA / NETWORKING SYSTEM(Main Building)	0.00	On Serial No-3(j)	8.86	8.86
20	Recording Studio(Main Building)	0.00	On Serial No-3(k)	35.97	35.97
21	Stage Lighting For 50 Seater Auditorioum(Main Building)	0.00	On Serial No-3(l)	15.44	15.44
22	Stage Lighting (Auditorium)	0.00	Included On Serial No-1(b)	41.66	41.66
23	Sound Reinforcement system(Auditorium)	0.00	Included On Serial No-1(b)	27.44	27.44
24	C.C.T.V. (Auditorium)	0.00	On Serial No-3(m)	4.28	4.28
25	G.S.T.@18% [TOTAL X+items 9 to 24]	0.00	579.28	545.85	545.85
26	ELECTRIC SERVICE CONNECTION @3.75% ON CIVIL WORK	0.00	108.81	71.69	71.69
	Total Cost of Project	**1473.70**	**4420.51**	**4096.74**	**2623.05**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।